गिरफ्तारी को अवैध बताने की अनवर की याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 3,100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपित कारोबारी

अनवर ढेबर।
● फाइल फोटो

अनवर ढेबर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व में इन्हीं तर्कों के आधार पर उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी और अन्य दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अदालत ने टिप्पणी की कि एक ही मुद्दे पर बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना स्वीकार्य नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि, उन्हें चार अप्रैल 2024 की रात बिना सूचना हिरासत में लिया गया और पांच अप्रैल को औपचारिक गिरफ्तारी दर्शाई गई। गिरफ्तारी के समय न तो आधार बताया गया और न ही स्वजन को सूचना दी गई। यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है मार्गदर्शन- कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई 2025 को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर चुका है और अनवर ढेबर को यह छूट दी थी कि वे चार माह में जांच में प्रगति नहीं होने की स्थिति में पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- हाई कोर्ट ने कहा-एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दाखिल करना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग

यह है मामला

अनवर ढेबर को पांच अप्रैल 2024 को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) रायपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि, आबकारी विभाग के अफसरों, हालोग्राम निर्माताओं और ठेकेदारों से मिलकर फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी दस्तावेजों और साजिश से सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। अवैध वित्तीय लाभ अर्जित किया गया।